जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय
चित्रकूट, (उ०प्र०)–210204

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विभागों/कार्यालय की मॉग के अनुसार कुल 05 श्रेणियों में (यथा– 1. स्टेशनरी एवं सफाई सामग्री 2. विद्युत एवं सिनैट्री सामग्री 3. कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित हार्डवेयर सामग्री 4. ए०सी०, आलमारी, वॉशिग मशीन, घास काटने की मशीन एवं अन्य उपकरण/सामग्री क्रय हेतु 5. अष्टावक्र सभागार के मंच का रिनोवशन (ACP Sheet, Wooden flooring etc. एवं साज–सज्जा) पात्र/अधिकृत फर्मो से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जा रही है। सम्बन्धित श्रेणी की निविदा हेतु निविदा प्रपत्र रू0 500/– विश्वविद्यालय काउन्टर पर जमा कर अथवा डी0डी0 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा से सम्बन्धित उपकरण/सामग्री की सूची/कार्य विवरण/शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jrdu.ac.in से अथवा विश्वविद्यालय आकर पटल से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर 2023 है। विश्वविद्यालय को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

कुलसचिव

कुलसचिव
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय
चित्रकूट (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0)

उपकरण क्रय की आमंत्रित निविदा की निर्धारित शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

1. निविदा पंजीकृत फर्मों की ही मान्य होगी। निविदाकर्ता सूची में अंकित उपकरण/सामग्री का निर्माता/डीलर/एजेन्ट हो सकता है।
2. क्रय किये जाने वाले उपकरण की सूची संलग्न है। निविदाकर्ता को प्रत्येक सामग्री की दर अलग–अलग अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. टेक्नीकल बिड एवं फाइनेन्सियल बिड अलग–अलग लिफाफों में जमा करना होगा।
4. उपकरण की आपूर्ति विश्वविद्यालय तक फर्म को करनी होगी। आपूर्ति में आने वाले व्यय का अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर में ट्रान्सपोर्टेशन/चुंगी/पैकिंग आदि चार्ज सम्मिलित होना चाहिए। यह अलग से देय नहीं होगी। ट्रान्सपोटेशन में टूट–फूट की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
6. निविदा कर्ता को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 20 दिवस के अन्दर उपकरण की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित समयावधि में आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें आगामी छः माह तक वैध मानी जायेंगी।
8. निविदा का मूल्य रू0 500/– (कुल पाँच सौ रूपये मात्र) एवं निविदा की जमानत राशि कुल कार्य–आपूर्ति आदेश के सापेक्ष 10% बैंक ड्राफ्ट/एफ० डी०आर०/एन०एस०सी० के माध्यम से कुलसचिव, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0) के पक्ष में कार्य–आपूर्ति आदेश के पूर्व जमा करनी होगी। यदि निविदा में न्यूनतम दर उल्लेख करने वाली फर्म जमानत राशि समयानुसार नहीं जमा करती है/असमर्थ होती है, तो नियमानुसार दूसरी फर्म को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।
9. फर्म द्वारा आपूर्ति प्राप्त होने एवं उपकरण के परीक्षण में गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उपकरण का मानक सही नहीं पाये पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
10. निविदाकर्ता फर्म की उपकरण के प्रयोग व संचालन तथा प्रिवेन्टिव मेण्टीनेन्स सम्बन्धी प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
11. निविदाकर्ता फर्म को आपूर्ति किये गये उपकरण की वारण्टी प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा जिसकी न्यूनतम अवधि 12 माह की होनी चाहिए।
12. निविदाकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध दर में व्यापार कर/जी०एस०टी० आदि अन्य कोई कर सम्मिलित नहीं माना जायेगा। करों का उल्लेख बिल में अलग से करना अनिवार्य होगा। बिल में से टी0डी0एस0 की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
13. निविदा प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर 2023 है। विश्वविद्यालय को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
14. निविदा खोलने की सम्भावित तिथि 28 सितम्बर 2023 है। निविदा विश्वविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता फर्म के स्वामी अथवा उनका प्रतिनिधि एथार्टी लेटर के साथ उपस्थित रह सकता है। आवश्यकतानुसार निविदा प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि बढ़ाई भी जा सकती है।
15. निविदा में दो निविदाकर्ता की दर समान होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी एक फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा सकता है। इस संदर्भ में कोई अतिरिक्त पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
16. किसी भी अवस्था में निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0) को होगा।
17. निविदाकर्ता फर्म से किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में कुलसचिव, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0) का निर्णय अन्तिम होगा।
18. क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य सभी नियम/शर्ते शासकीय मान्य होगें।

(राज बहादुर सिंह)
कुलसचिव
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय
चित्रकूट (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner